कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फैक्स– 0755– 2555162,
E-Mail : ceomp@mp.nic.in **website:** **www.ceomadhyapradesh.nic.in**

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल, 2012

फा. क्र. 01/2013/3/2409

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)
मध्य प्रदेश.

विषयः सतत अद्यतन हेतु डोर टू डोर सर्वे 15 अप्रैल से 31 मई 2012 के संबंध में।
संदर्भः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का पत्र क्र. 01/2013/3/1123 दिनांक 27.3.2012 एवं 9.4.2012

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्र. 01/2013/3/1123 दिनांक 27.3.2012 का अवलोकन करें। 15 अप्रैल से 31 मई 2012 तक डोर टू डोर सर्वे किए जाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं। यह सर्वे बीएलओ के द्वारा बीएलओ को आवंटित मतदान केन्द्र/मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में आने वाले सभी रहवासियों के घरों पर घर–घर जाकर किया जाना है।

2. बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर जब जानकारी प्राप्त की जायेगी। बीएलओ को निर्देशित किया जाए कि घर में रहने वाले कुल सदस्य कितने हैं, उनकी संख्या भी मतदाता सूची या बीएलओ के रजिस्टर में अंकित करें। घर में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने महिला/पुरूष हैं, उनकी जानकारी ली जावे। बीएलओ को यह भी निर्देशित करे कि वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति आवास में निवास करते हैं, उनमें से किन–किन का नाम मतदाता सूची में है जानकारी ली जावे तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जिन महिला/ पुरूष के नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनके नाम उम्र इत्यादि की जानकारी प्राप्त करें तथा उन्हें फार्म नं. 6 भरने के लिए प्रेरित/प्रोत्साहित करें। फार्म–6 भरवाने तथा दो फोटो लेने के लिए बीएलओ को निर्देशित करें। यह समस्त कार्य 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं के आधार पर किया जाना है।

3. डोर टू डोर सर्वे के समय यदि बीएलओ को यह जानकारी प्राप्त होती है कि कोई मतदाता सिफ्ट/मृत हो गया है इत्यादि की जानकारी होने पर उनकी जानकारी लेकर निर्धारित फार्म भरवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर कार्यवाही की जावे।

9.4.12

4. 15 अप्रैल, 2012 से 31 मई, 2012 तक किए जाने वाले सर्वे के समय महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी साहिकाओं, स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं, ग्रामपंचायत के सचिव, पटवारी, ग्राम पटेल, ग्राम कोटवार, कृषि विभाग के ग्रामीण विस्तार अधिकारी इत्यादि का भी सक्रिय सहयोग लिया जावे। पटवारी हल्के में पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये पटवारियों का सहयोग प्राप्त करें। आंगनबाड़ी कायकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता के क्षेत्र में एवं ग्राम कोटवार/ग्राम पटेल के ग्राम में पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने से शेष नहीं रहा है के लिए इनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। बीएलओ को निर्देशित करें कि सर्वे करने पर ऐसे पात्र मतदाताओं की सूची जिनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकते है, किन्तु उनके फार्म नम्बर–6 नहीं भरे जा सके हैं उनकी सूची तैयार कर ग्राम के कोटवार, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव इत्यादि को दें ताकि ये लोग भी ऐसे मतदाताओं से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उन्हे प्रेरित करने का प्रयास कर सकेंगे।

5. बीएलओ के पास बीएलओ रजिस्टर, बीएलओ किट पूर्व में दिया गया है तथा बीएलओ बोर्ड भी दिए गए हैं। बीएलओ बोर्ड बीएलओ के निवास स्थान पर लगा होना सुनिश्चित करवाएं तथा बीएलओ के पास बीएलओ रजिस्टर, बीएलओ किट, बीएलओ बेग उपलब्ध होना कृपया सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त 5 जनवरी 2012 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की प्रति भी उन्हें उपलब्ध करायें। डोर टू डोर सर्वे के समय प्राप्त होने वाले आवेदनों को इंद्राज करने के लिए/जानकारी रखने के लिए कोरा रजिस्टर की आवश्यकता भी होगी। अतः 50 पेज के कोरे रजिस्टर भी कृपया उपलब्ध करायें। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ओसतन 50 से 100 नवीन फार्म–6 आने की संभावना है। बड़े मतदान केन्द्रों इंदौर इत्यादि जिलों में कुछ मतदान केन्द्रों पर 150–200 फार्म आने की भी संभावना है। आपके जिले के मतदान केन्द्रों के ईपिक रेसो तथा संभावित जुड़ने वाले मतदाताओं की संख्या का आंकलन भी कृपया करा लें। कृपया राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नियमानुसार अवगत कराते हुए आवश्यक प्रचार–प्रसार भी करें।

6. आशा है आपके मार्गदर्शन में इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त होगी।

(मु.नि.प. द्वारा अनुमोदित)

(एस.एस. बंसल) 9.4.12

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

मध्यप्रदेश

फा. क्र. 01/2013/3/2410 भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल, 2012

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/ श्रम विभाग/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/ उच्च शिक्षा विभाग/ स्कूल शिक्षा विभाग

2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, महिला बाल विकास विभाग,

3. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

4. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत, विभाग

5. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

6. संभागायुक्त (समस्त) मध्य प्रदेश।

की ओर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

(एस.एस. बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश